(81)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2061–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 19.05.16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2015–16

श्रीमती सुक्को बाई, आयु लगभग 85 वर्ष
पत्नी स्व. श्री बुलका चमार
निवासी– ग्राम सियलपुर, तह0 सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा मुख्तारआम
खुमनीबाई पत्नी श्री गोरेलाल जाति चमार
निवासी – ग्राम सियलपुर तह0 सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.) ....**आवेदक**

विरुद्ध

सलीम खां, आयु वयस्क आ0 श्री राजमल खां
निवासी– जाट बरखेड़ा, तह0 नटेरन जिला विदिशा (म.प्र.) ....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी
अनावेदक एक पक्षीय हैं।

आदेश

(आज दिनांक ....18/1/18.........को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2015–16 पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.09.2015 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्र.क्र. 95/बी–121/2014–15 एवं प्र.क्र. 10/अपील/2015–16 की विषय वस्तु एक समान होने के कारण दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ करने हेतु आवेदन दिया था। जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19.05.2016 द्वारा निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि आवेदक द्वारा जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कमजोर वर्गों के कृषि धारकों को उधार देने वालों की भूमि हड़पने संबंधी कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है और उक्त प्रकरण में अनावेदक उपस्थित हो चुका है तब उक्त प्रकरण के निराकरण तक अपील की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए अथवा दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जाना चाहिए अन्यथा उक्त प्रकरण में की जा रही जांच प्रभावित होगी, क्योंकि दोनों प्रकरण एक ही न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि धारा–10 सीपीसी के अंतर्गत अगर समान पक्षकार एवं समान वाद विषय हों तब पश्चातवर्ती प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

4/ अनावेदक द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही विधि सम्मत एवं न्यायिक है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नही की है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई। कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा संहिता की धारा–32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में भी विचाराधीन एक अन्य अपील प्रकरण 95/बी–121/2014–15 की सुनवाई वर्तमान प्रकरण के साथ ही किए जाने अथवा वर्तमान प्रकरण की कार्यवाही को उक्त प्रकरण के निराकरण तक स्थगित रखे जाने का निवेदन किया। उक्त आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने यह मानते हुए कि दोनों प्रकरण अलग–अलग शीर्ष के हैं आवेदन निरस्त किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि वर्तमान प्रकरण एवं अनुविभागीय अधिकारी के समस्त प्रचलित प्रकरण एक ही स्वरूप के हैं। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अन्य प्रकरण में भी क्या कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है, इस संबंध में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर